संख्या-82/2022/20रासनि/23-1-22-11रासनि/21टीसी

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 09 मार्च, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 28 मार्गों के स्वीकृत कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-7637सी/191सी/3054-मांग/2021-22, दिनांक 07.03.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न विवरणानुसार विभिन्न जनपदों के 28 मार्गों के स्वीकृत कार्य हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 14,83,41,000/- (रूपये चौदह करोड़ तिरासी लाख इकतालीस हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2022 तक लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2022 तक उपलब्ध करा दिया जाय । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्य के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए सम्बन्धित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबरसेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रायोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके । यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिर्वतन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्यो की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय प्रथमत: चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-05-राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा और अन्तत: लोक लेखे के "लेखाशीर्षक-8225-सड़क एवं सेतु निधि-02-राज्य सड़क एवं सेतु निधि-101-राज्य सड़क व सेतु निधि-01-राज्य सड़क व सेतु निधि-01-राज्य सड़क निधि" में डेबिट करते हुए समतुल्य धनराशि अनुदान सं0-58 के "भाग-4 के वसूलियों-लेखाशीर्षक-3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-05 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण (8225)-29-अनुरक्षण" में जमा किया जायेगा ।

भवदीय,

(राजेश प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-82/2022/20रासनि(1)/23-1-22, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
4- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
5- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
7- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
9. नोडल अधिकारी(आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सं0-82/2022/20रासनि/23-1-22-11रासनि/21टीसी दिनांक 09.03.2022 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं.	मार्ग यूनिक कोड	जनपद	कार्य का नाम	मूल शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	83781	Balia	बलिया गढ़वार मार्ग से चन्दुकी ग्राम मार्ग की पुर्ननिर्माण का कार्य।	76 /2021 /459 रासनि /23–1–21–44 रासनि/20 दिनांक 05.03.2021	46.88	4.69	0.03	42.16	42.16
2	92808	Banda	बबेरू–तिंदवारी–सुमेरपुर मार्ग	93 /2021 /561 रासनि/23–1–21–51 रासनि/20 दिनांक 15.03. 2021	245.45	199.91	0.00	45.54	21.00
3	92809	Banda	बहराईच–बांदा शहरी भाग	93 /2021 /561 रासनि/23–1–21–51 रासनि/20 दि. 15.03.2021,	240.88	216.79	5.50	18.59	5.50
4	99667	Banda	बांदा बहराईच मार्ग (राज्य मार्ग सं0–13 ई) के किमी 292, 293, 299, 300 एवं 301 में मरम्मत एवं सुधार का कार्य।	268 /2021/1206 रासनि/23–1–21–94 रासनि/20 दिनांक 15.11. 2021	439.38	43.93	0.00	395.45	200.00
5	103077	Gonda	आई0आर0क्यू0पी0 के अन्तर्गत मनकापुर कोट तिराहा मार्ग के मरम्मत का कार्य	358 /2021/1186 रासनि/23–1–21–10 रासनि/21 टी0सी0–2 दिनांक 17.12.2021	121.04	12.10	0.27	108.67	96.57
6	105713	Gonda	मनकापुर कोट तिराहा मछलीगांव के आबादी भाग में सी0सी0 सहित विशेष मरम्मत का कार्य	39 /2022 /1936 रासनि /23–1–21–10 रासनि/21 टीसी–2 दिनांक 07.01.2022	139.90	13.99	0.31	125.60	97.62
7	75420	Bahraich	नानपारा नवाबगंज मार्ग	63 /2020 /681 रासनि/23–1–20–51 रासनि/20 दिनांक 17.03. 2020	277.25	221.80	3.64	51.81	37.95
8	83820	Bahraich	बाबागंज– केशवापुर–बसौना रामनगर (अ0जि0मा0) के किमी0–1(400) में विशेष मरम्मत का कार्य।	76 /2021 /459 रासनि /23–1–21–44 रासनि/20 दिनांक 05.03.2021	44.23	26.54	4.63	13.06	8.64
9	86509	Jhansi	सुट्टा सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	114 /2021/603 रासनि/23–1–21–94 रासनि/20 दि0 25.03.2021	67.03	36.87	0.24	29.92	26.57
10	84796	Jhansi	मोठ बघेरा मार्ग के किमी0–9.00 में बेतवा नदी पर क्षतिग्रस्त रपटा की मरम्मत का कार्य	97 /2021/407 रासनि/23–1–21–50 रासनि/20 दिनांक 17.03. 2021	98.10	53.96	0.10	44.04	39.14
11	84797	Jhansi	आई0आर0क्यू0पी0 के अन्तर्गत निवी से करकोस के किमी0–1(300) में सी0सी0 एवं 1(300) से 7(800), 14(580) से 17(520) तक सतह सुधार का कार्य	97 /2021/407 रासनि/23–1–21–50 रासनि/20 दिनांक 17.03. 2021	256.56	141.11	1.56	113.89	62.58
12	86508	Jhansi	जखनवारा से गौती सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य।	114 /2021/603 रासनि/23–1–21–94 रासनि/20 दिनांक 25.03. 2021	58.51	32.19	0.31	26.01	23.08
13	92838	Lalitpur	महरौनी मड़ावरा मदनपुर मार्ग	93 /2021 /561 रासनि/23–1–21–51 रासनि/20 दि0 15.03.2021	257.99	134.16	0.65	123.18	97.38
14	100975	Lalitpur	आलापुर सम्पर्क मार्ग के किमी0–1,2 व 3 में विशेष मरम्मत का कार्य	314 /2021/1277 रासनि/23–1–21–10 रासनि /21 टी0सी0 2 दिनांक 30. 11.2021	40.55	4.06	2.49	34.00	25.89
15	103113	Lalitpur	जहाजपुर पिपरई मार्ग के किमी 1 व 2 में विशेष मरम्मत का कार्य	358 /2021/1186 रासनि/23–1–21–10 रासनि/21 टी0सी0–2 दिनांक 17.12.2021	95.63	9.56	0.00	86.07	40.00
16	84988	Lucknow	बी0के0टी0 बाबागंज मार्ग कि0मी0–3 से मिश्रीपुर संपर्क मार्ग का विषेष मरम्मत का कार्य।	107 /2021/532 रासनि/23–1–21–45 रासनि/20 दिनांक 24.03. 2021	56.090	30.85	0.00	25.24	11.47
17	80362	Rae bareli	लाही बार्डर शिवगढ़ भवानीगढ़ बहुदाकलां मार्ग के किमी 17 से	221 /2020 /1161 रासनि /23–1–20–40 रासनि/20 दिनांक 31.12.2020	71.71	68.12	0.12	3.47	3.47

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

क्र. सं.	मार्ग यूनिक कोड	जनपद	कार्य का नाम	मूल शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			लालगंज बहुदाखुर्द वाजिदपुर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य।						
18	80363	Rae bareli	आई0आर0क्यू0पी0 के अन्तर्गत लाही बार्डर से शिवगढ़ भवानीगढ़ बहुदाकलां मार्ग के किमी 9(500) से 20(500) में विशेष मरम्मत का कार्य।	221 /2020 /1161 रासनि /23–1–20–40 रासनि/20 दिनांक 31.12.2020	479.69	288.38	9.11	182.20	182.20
19	92874	Rae bareli	बहराइच–बांदा मार्ग	93 /2021 /561 रासनि/23–1–21–51 रासनि/20 दिनांक 15.03. 2021	482.36	434.12	1.04	47.20	47.20
20	75694	Rae bareli	बहइराच–बॉदा मार्ग	63 /2020 /681 रासनि/23–1–20–51 रासनि/20 दिनांक 17.03. 2020	399.88	358.49	21.32	20.07	20.07
21	75988	Ghazipur	गाजीपुर आजमगढ़ मार्ग	63 /2020 /681 रासनि/23–1–20–51 रासनि/20 दिनांक 17.03. 2020	218.90	58.15	28.16	132.59	110.70
22	82145	Ghazipur	एन0एच0–29 से सहादतपुर सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य। किमी 1 से 4	58 /2021 /349 रासनि /23–1–21–72 रासनि/20 दिनांक 24.02.2021	41.13	32.90	0.02	8.21	4.10
23	84992	Ghazipur	जमानियां देवैथा माइनर से रायपुर संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य। कि0मी0– 1,2,3,4(500)	107 /2021/532 रासनि/23–1–21–45 रासनि/20 दिनांक 24.03. 2021	67.700	37.23	0.06	30.41	23.64
24	81384	Jaunpur	डोमपुर संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य। कि0मी0– 1 से 4(900)	22 /2021 /1293 रासनि /23–1–20–66 रासनि/20 दिनांक 19.01.2021	53.260	10.65	0.00	42.61	31.96
25	96538	Varanasi	मोहनसराय दीनदयाल उपाध्याय नगर चकिया मार्ग (एस0एच0–120) किमी 21 व 22 में विशेष मरम्मत का कार्य।	169 /2021/770 रासनि/23–1–21–93 रासनि/20 दिनांक 06.08. 2021	250.84	125.42	46.65	78.77	66.23
26	101062	Varanasi	डोमपुर संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य। कि0मी0– 1 से 4(900)	314 /2021/1277 रासनि/23–1–21–10 रासनि /21 टी0सी0 2 दिनांक 30. 11.2021	152.21	15.22	5.76	131.23	100.00
27	96961	Pratapgarh	रामपुर बावली से वीरशाहपुर वाया रायपुर तियाई मार्ग पर विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	193 /2021/851 रासनि/23–1–21–43 रासनि/20 दिनांक 15.09. 2021	58.95	29.47	5.85	23.63	17.74
28	97296	Pratapgarh	अन्तू सांगीपुर मार्ग (अ0जि0मा0) पर विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	202 /2021/890 रासनि/23–1–21–43 रासनि/20 दिनांक 27.09. 2021	76.30	19.07	9.05	48.18	40.55
				योग					**1483.41**

(राजेश प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**